स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक............/जि0रा0,दिनांक............/.........../2013

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

खान निरीक्षक -सह- सक्षम पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

विषय :: किशनगंज जिला में खान निरीक्षक -सह- सक्षम पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अनुपस्थिति में स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहना है कि विगत कई माह से लगातार आपकी इस जिला में अनुपस्थिति रही है। यहाँ तक कि विगत कई महीने से जिला स्तरीय आंतरिक संसाधन की बैठकों में भी आप अनुपस्थित रहे हैं। आपको पूर्व में निदेशित किया गया था कि इस जिला में कम से कम एक दिन एवं महीना में कम से कम आठ दिन अपनी उपस्थिति निर्धारित कर संसूचित करेंगे, परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक इस दिशा में आपके द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाई नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा जानबूझ कर आदेश की अवहेलना की जा रही है, जिससे सरकारी राजस्व वसूली एवं राजस्व क्षति रोकने पर कु-प्रभाव पड़ रहा है।

अतः निदेशानुसार निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं सरकारी आदेश / अनुदेश / उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जाय। साथ ही इस जिला के लिए उपरोक्त निदेशानुसार तिथि निर्धारित करते हुए सूचना तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ज्ञात रहें कि यदि निर्धारित अवधि तक आपका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहता है तो यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अग्रेतर कार्यवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जबावदेह होंगे।

विश्वासभाजन,

-ह0-
अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक..319...../जि.रा., दिनांक..06/03..../2013

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक (आई.टी. मैनेजर), किशनगंज को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Anchal 6/3/13
अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।